

उत्तराखण्ड सरकार



उत्तराखण्ड शासन

वृत्त का नाम :-

7 वां वृत्त लो०नि०वि० गोपेश्वर

खण्ड का नाम :-

प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि० रुद्रप्रयाग

वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

कार्य का नाम

जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत सारी-विजराकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 3.000 किमी०।

क्षेत्रफल :-

वन पंचायत भूमि	-	0.000 हेक्टेयर
सिविल सोयम वन भूमि	-	0.000 हेक्टेयर
आरक्षित वन भूमि	-	2.610 हेक्टेयर
नाप भूमि	-	0.090 हेक्टेयर
कुल क्षेत्रफल	-	2.700 हेक्टेयर

वांछित क्षेत्रफल- 2.610 हेक्टेयर

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980

के अन्तर्गत भारत सरकार,
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की
स्वीकृति प्राप्त करने हेतु वन
भूमि

हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित
करने

के प्रपत्र / प्रमाण पत्र

विषय सूची

क्र.	प्रपत्र	पृ0सं0
1	आवरण पृष्ठ	
2	विषय सूची	1-2
3	फैक्ट सीट	3
4	प्रतिवेदन	4-6
5	परियोजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति का शासनादेश	7
6	भारत सरकार के प्रपत्र	8-11
7	संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट व प्रभागीय वनाधिकारी का संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट	12-19
8	प्रभावित वन भूमि का लैण्ड शेड्यूल	20-26
9	प्रभावित वृक्षों के पातन की सूची एवं वृक्षों की मूल्य सूची	27-33
10	बांज वृक्षों के पातन का प्रमाण-पत्र	28-33
11	राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य सम्बन्धी प्रमाण-पत्र	34
12	प्रस्तावित परियोजना का 1:50,000 के पैमाने का मानचित्र	35-39
13	क्षतिपूरक वृक्षारोपण का मानचित्र एवं योजना (पंचवर्षीय)	38-38 A
14	क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्रमाण पत्र, कागज योजना एवं स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र	39-40
15	परियोजना का बार चार्ट	41-46
16	रिक्त पड़े स्थान पर उचित वृक्षारोपण प्रमाण-पत्र	47
17	प्रस्तावित परियोजना से वृक्ष प्रभावित न होने की दशा में प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण-पत्र	48-50
18	प्रस्तावित परियोजना से प्रभावित वृक्षों की दस गुनी संख्या में वृक्षारोपण करने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र	51
19	आम सभा का अनापत्ति प्रमाण-पत्र	52
20	परियोजना की लम्बाई चौड़ाई प्रमाण-पत्र	53-54
21	वैकल्पिक समरेखणों के निरस्त किये जाने का प्रमाण-पत्र	55
22	परियोजना का कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण-पत्र	56
23	भू-वैज्ञानिक की आख्या	57
24	भू-वैज्ञानिक/जिला टास्क फोर्स की संस्तुतियों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र	58-61
25	टास्क फोर्स की संस्तुतियों का मान्य होने का प्रमाण-पत्र	62-65
26	वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाण-पत्र	63
27	अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की माँग न्यूनतम होने का प्रमाण-पत्र	64
28	घास/पौराणिक/ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण-पत्र	65
29	लभान्वित होने वाले ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र	66
30	दुग्धने अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र	67
31	पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र	68
32	वन भूमि के मूल्य का प्रमाण-पत्र	69
33	एन0पी0वी0 जमा कराये जाने एवं मूल्य वृद्धि का प्रमाण-पत्र	70
34	लागत लाभ विशलेषण प्रमाण-पत्र	71-72
35	प्रस्तावित स्थल विशिष्ट होने अथवा न होने का प्रमाण-पत्र	73-75
36	परियोजना के निर्माण से उत्पादित मलवा निस्तारण की योजना	76
37	मानक शर्तें मान्य होने का प्रमाण-पत्र	77-82
38	आर0सी0सी0 पिलरों के सीमांकन का प्रांकलन एवं देय धनराशि का प्रमाण-पत्र	83-86
39	लीज अवधि का प्रमाण-पत्र	87
40	जल विद्युत परियोजना हेतु कैचमेन्ट ट्रीटमेन्ट प्लान	88
41	प्रस्तावित परियोजना का लेआउट प्लान एवं मदवार विवरण	89
42	पूर्व निर्मित मोटर मार्ग से आगे मार्ग निर्माण किये जाने का प्रमाण-पत्र	90-92
43	राष्ट्रीय पार्क / वन्य अभ्यारण्य से दूरी का प्रमाण पत्र	93-
44	रसाई गैस / कैरोसिन आपूर्ति का प्रमाण पत्र	94
45	परियोजना से सम्बन्धित अन्य सूचनार्य	95
46	विस्फोटकों के उपयोग का प्रमाण पत्र	96-98
		99

47- प्रस्तावित परियोजना से प्रभावित वृक्षों की दस गुनी संख्या में वृक्षारोपण करने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र — — 100-103

फैक्ट शीट

परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत सारी-विजराकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 3.000 किमी०।

1. प्रभावित भूमि का वैधानिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल (है० में)–

वन पंचायत भूमि	–	0.000 है०
सिविल सोयम वन भूमि	–	0.000 है०
आरक्षित वन भूमि	–	2.610 है०
निजी भूमि	–	0.090 है०
योग	–	2.700 है०

2. प्रस्तावक विभाग का नाम – लोक निर्माण विभाग रुद्रप्रयाग
3. वन प्रभाग का नाम – रुद्रप्रयाग वन प्रभाग रुद्रप्रयाग।
4. प्रस्ताव बाइंडिंग किया गया है – ☒ हाँ / ☐ नहीं
5. प्रस्ताव में विषय सूची भरी गयी है – ☒ हाँ / ☐ नहीं
6. क्या भारत सरकार के प्रारूप के भाग-1, 2, 3 के सभी बिन्दुओं की सूचना भरी गयी है – ☒ हाँ / ☐ नहीं
7. क्या प्रारूप में वांछित स्थानों पर दिनांक व स्थान भर गया है – ☒ हाँ / ☐ नहीं
8. प्रस्तावित क्षेत्र की हरियाली का घनत्व दर्शाया गया है – ☒ हाँ / ☐ नहीं
9. प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची/प्रमाण पत्र संलग्न है – ☒ हाँ / ☐ नहीं
10. बांज प्रजातियों के वृक्षों के प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक का स्थीलय निरीक्षण प्रमाण पत्र संलग्न है – ☒ हाँ / ☐ नहीं
11. प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या यदि अत्यधिक है तो प्रस्ताव विभाग द्वारा उन्हें कम करने का प्रयास किया गया है – ☒ हाँ / ☐ नहीं
12. समरेखण में आने वाले कुल वृक्षों की संख्या व वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है – ☒ हाँ / ☐ नहीं
13. क्या वृक्षों की संख्या के अनुसार हरियाली का घनत्व सही है – ☒ हाँ / ☐ नहीं
14. क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण की विस्तृत योजनामय स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र सहित प्रस्ताव में संलग्न है – ☒ हाँ / ☐ नहीं
15. क्या माचित्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया है – ☒ हाँ / ☐ नहीं
16. प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर / आस-पास रिक्त पड़े स्थानों की वृक्षारोपण योजना संलग्न है – ☒ हाँ / ☐ नहीं
17. क्या परियोजना क्षेत्र वन्य जीवों के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है – ☒ हाँ / ☐ नहीं

18. प्रस्तावित क्षेत्र हाथी कोरीडोर का हिस्सा है - हाँ/नहीं ✓ Page NO.....

यदि हाँ तो मुख्य वन्य जीव प्रतिपालका का प्रमाण पत्र संलग्न है - हाँ/नहीं ✓

19. क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में सही भरा गया है - हाँ/नहीं ✓

20. प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है अथवा पूर्व निर्मित मार्ग से आगे निर्माण किया जाना है (यदि पूर्व निर्मित मार्ग से आगे बनाया जाना है तो पूर्व में जारी भारत सरकार की प्रति संलग्न करें) - हाँ/नहीं ✓

21. क्या मानचित्र में प्रभावित विभिन्न प्रकार की वन भूमि को अलग-अलग रंगों से भरा गया है - हाँ/नहीं ✓

22. यदि सड़क का आरम्भिक बिन्दु किसी मार्ग से निकलता है तो उस मार्ग को मानचित्र पर दर्शाया गया है - हाँ/नहीं ✓

23. क्या प्रस्तावित योजना में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 उल्लंघन हुआ है - हाँ/नहीं ✓

24. यदि उल्लंघन हुआ तो पूर्व स्थिति वर्णित करते हुए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम एवं उनके विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण संलग्न किया जाय - हाँ/नहीं ✓

25. सड़क निर्माण हेतु तलाशी गयी अन्य सम्भावनायें/वैकल्पिक समरेखण मानचित्र पर दर्शाये गये हैं - हाँ/नहीं ✓

26. वैकल्पिक समरेखण को निरस्त करने का कारण ग्राहकवासियों द्वारा
आपत्ति के कारण

27. लागत लाभ विश्लेषण मात्रात्मक रूप में प्रस्तुत है - हाँ/नहीं ✓
(5 हैक्टेयर से अधिक के प्रकरणों में लागू होगा)

28. मानचित्र व बार चाट में एक रूपता है - हाँ/नहीं ✓

29. मलवे के निस्तारण की योजनामय मानचित्र सहित संलग्न करें - हाँ/नहीं ✓

अथवा

मलवे के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र संलग्न है - हाँ/नहीं ✓

30. राज्य सरकार द्वारा लगायी जाने वाली शर्तों का प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है - हाँ/नहीं ✓

31. क्या प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण पत्रों की फोटो प्रतियां मूल में संलग्न है- यदि छाया प्रतियां संलग्न की गयी हैं तो क्या वे सत्यापित है - हाँ/नहीं ✓

32. यदि वन भूमि लीज पर दी जानी है तो लीज अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न है - हाँ/नहीं ✓

33. वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न है - हाँ/नहीं ✓

34. क्या प्रस्ताव के सभी प्रमाण पत्रों में परियोजना का नाम अंकित है - हाँ/नहीं ✓

35. ग्राम सभा व अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है - हाँ/नहीं ✓

36. एन0पी0वी0 की धनराशि जमा करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र (माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28.03.2008 व 9.05.2008 के अनुसार) - हाँ/नहीं
37. क्षतिपूरक वृक्षारोपण की पांच वर्षीय सजरा सीट राजस्व उपनिरीक्षक के खसरा खतौनी सहित संलग्न है - हाँ/नहीं
38. क्षतिपूरक वृक्षारोपण सिविल क्षेत्र में ही किया जायेगा, का प्रमाण पत्र संलग्न है - हाँ/नहीं
39. प्रभावित क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण का हिस्सा नहीं है तथा प्रस्ताव पार्क से राष्ट्रीय पार्क/वन्य अभ्यारण की दूरी का प्रमाण पत्र संलग्न है - हाँ/नहीं
40. 1 : 50,000 के मानचित्र एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण मानचित्र में अक्षांश व देशान्तर रेखायें दर्शायी गयी हैं - हाँ/नहीं
41. 1 : 50,000 पैमाने के मानचित्र पर वैकल्पिक समरेखण दर्शाया गया है - हाँ/नहीं
42. परियोजना निर्माण में कार्यरत श्रमिकों को प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान रसोई गैस/मिट्टी का तेल की आपूर्ति की जायेगी का प्रमाण पत्र संलग्न है - हाँ/नहीं
43. प्रस्ताव के साथ उप वन संरक्षक की स्थलीय निरीक्षण आख्या संलग्न है - हाँ/नहीं

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त फैक्ट शीट एवं चैक लिस्ट के अनुसार गठित किया गया है व समस्त पत्र/सूचनायें संलग्न कर दी गई है।

अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि040
रुद्रप्रयाग

प्रतिवेदन

परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत सारी-विजराकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 3.000 किमी०।

इस मार्ग राज्य योजना के अन्तर्गत 6985/111(2)/10-18 (प्रा०आ०)/10 टी०सी० दिनांक 03.02.2011 द्वारा लम्बाई 3.00 किमी० हेतु लागत रु० 37.80 लाख प्रथम चरण हेतु प्राप्त है। छाया प्रति संलग्न है।

यह मार्ग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत सणगू-सारी मोटर मार्ग के किमी० 25 के अन्तिम बिन्दु से प्रारम्भ होकर ग्राम ककोडाखाल, ग्वाड, सारी व विजराकोट तक जायेगा। मार्ग का प्रारम्भिक सर्वेक्षण करने के उपरान्त संरेखण आख्या वृत्तीय कार्यालय द्वारा स्वीकृत है। मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु यह वन भूमि प्रस्ताव गठित किया गया है। मार्ग के नव निर्माण में 2.610 है० आरक्षित वन भूमि एवं 0.090 है० नाप भूमि पड़ती है। मार्ग के नव निर्माण होने उक्त गांवों के साथ-साथ ही लगभग 1500 की जनसंख्या लाभान्वित होगी। मार्ग के नव निर्माण हो जाने से इस क्षेत्र में स्थित अति दूरस्थ गांवों/तोकों को भी यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि सुविधाओं का लाभ मिलेगा तथा स्थानीय उत्पाद जैसे आलू, माल्टा, राजमा आदि को बाजार तक लाने में सुविधा होगी।

अतः इस मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित कर लोक निर्माण विभाग विभाग को हस्तान्तरण हेतु प्रस्तुत है।

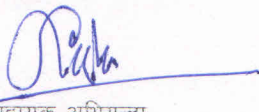
भूमि का प्रकार-

वन पंचायत भूमि	-	0.000 हेक्टेयर
सिविल सोयम वन भूमि	-	0.000 हेक्टेयर
आरक्षित वन भूमि	-	2.610 हेक्टेयर
नाप भूमि	-	0.090 हेक्टेयर
कुल क्षेत्रफल	-	2.700 हेक्टेयर

वांछित क्षेत्रफल - 2.610 हेक्टेयर

उक्त मोटर मार्ग के निर्माण के अन्तर्गत प्रभावित होने वाली वन भूमि का निरीक्षण भू-वैज्ञानिक द्वारा किया गया है। आख्या प्रस्ताव में संलग्न है। प्रस्ताव के अन्य वांछित प्रमाण पत्र एवं प्रपत्र संलग्न किये गये हैं। अतः लोक निर्माण विभाग को 2.610 है० वन भूमि हस्तान्तरण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है।


कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

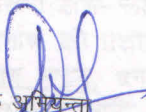

सहायक अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

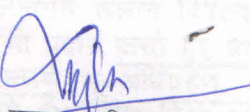

अधिशारी अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत सारी-विजराकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 3.000 किमी०।

प्रस्तावित परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का शासनादेश

संलग्न है


कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग


सहायक अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग


अधिशासी अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

15 01952666480

IRRIJATION & SOCIAL WEL

#1845 P 001

संख्या-6905-111(2)/10-13(प्रौद्योगिकी)/2010 टीसी0-4

प्रदीप सिंह रावत,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

यह शास्त्र का संख्या-470
संख्यावली संख्या-53
दिनांक 24/12/2009

मुख्य अभियन्ता स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

विषय:-

विधानसभा क्षेत्र-रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों की प्रशासकीय, वित्तीय एवं व्यय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

होदय,

देहरादून दिनांक: 03 फरवरी, 2011

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता ग0क्ष0, पौड़ी द्वारा विधानसभा क्षेत्र-रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत संलग्न विवरणानुसार उल्लिखित 05 कार्यों हेतु उपलब्ध कराये आगणनों के निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम चरण के अन्तर्गत प्रक्रियात्मक कार्यों यथा विस्तृत आगणन का गठन, वन भूमि हस्तांतरण, भू-अधिग्रहण, यूटीलिटी शिफ्टिंग, मृदा परीक्षण, भू-वैज्ञानिक की रिपोर्ट, कन्सलटेंट्स आदि मदों के लिये टी0ए0सी0 वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि 189.00 लाख (₹ एक करोड़ उन्चासी लाख मात्र) पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए संलग्न विवरणानुसार चालू वित्तीय वर्ष में प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात् कुल 05 कार्यों हेतु ₹ 0.50 लाख (₹ पचास हजार मात्र) के व्यय की, महामहिम श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

2- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समसम्बद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा। तदोपरान्त उक्त सन्दर्भित शासनादेश सं0:- 1764/111(2)/10-17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही मोटर मार्ग के निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

3- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर निम्नानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

4- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नाम है, स्वीकृत नाम से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही हो तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

5- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नज़र रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

6- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय। स्वीकृत अनुमान के सापेक्ष कम व्यय होने की दशा में बचत की धनराशि यथा समय समर्पित की जायेगी।

7- स्वीकृत किये जा रहे कार्यों के क्रियान्वयन हेतु उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेंट रूलर्स-2006 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। बजट मैन्युअल के समस्त संगत नियमों का अनुपालन किया जायेगा।

8- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:- 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

24/12/2009

18-10 01352666244

IRRIGATION & SOCIAL WEL

P1845 P.003

-2-

3- स्वीकृत किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधीशासी अभियन्ता का होगा।

10- इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2010-11 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान 30-22-लेखाधीन-5054 सड़कों तथा संतुओं पर पूंजीगत परिव्यय -04 जिला तथा अन्य सड़कों -आयोजनागत -800-अन्य व्यय-03 राज्य लेवटर- 02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

11- यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या- 774/XXVII(2)/2010 दि. 01 फरवरी, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक- यथोपरि।

भवदीय,

(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव

संख्या-6985 (1)/(2)/10-18(प्र0आ0)/2010 टी0सी0-4 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित -

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), आंबराय मोटर्स बिल्डिंग, भाजपा देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल नण्डल, पौड़ी।
3. जिलाधिकारी, जनपद रुद्रप्रयाग।
4. मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल क्षेत्र, लो.नि.वि., पौड़ी।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जनपद रुद्रप्रयाग/देहरादून।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
8. अधीक्षण अभियन्ता, सप्तम वृत्त, लो.नि.वि. गोपेखर।
9. लोक निर्माण अनुभाग-1/3 उत्तराखण्ड शासन
10. गार्ड बुक।

आज्ञा से

प्रधाना

(महिमा)

अनु सचिव

महत्वपूर्ण। दि. 8/2/11 18/2/2011
प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित -
तत्काल आठ कार्यवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि कठक (प्र0)/वजह देहरादून/2405/22 को संचित
को (प्र-पंजीयन एवं आठ कार्यवाई हेतु प्रेषित) दि. 26/2/11

वजह देहरादून में अंकित किया।

26/2

2011 10-15-91352666660

TRANSACTION 4 001

#1845 P 00

शा0सं-6905 / 11(2)/10-18(प्रा0आ0) / 2010 टी0सी0-4 दि 03 फरवरी, 2011
का सलगनक

क्र0 सं0	कार्य का नाम	लंबाई (किमी0 0)	टी0ए0सी0 मिनि डार सनुसहित (लाख र में)	वित्तीय वर्ष 2010-11 में व्यय हेतु स्वीकृत धनराशि (लाख र में)
01	02	03	04	05
01	जनपद रुद्रप्रयाग में काण्डई-वेरागना-पाटा (बचणस्यू) मोटर मार्ग का निर्माण	3.00	37.80	0.10
02	जनपद रुद्रप्रयाग में डुंगा (बचणस्यू) से आरस्यू मोटर मार्ग का निर्माण	3.00	37.80	0.10
03	जनपद रुद्रप्रयाग में घोपड़ा-डुंग्री-छापड़ मोटर मार्ग का निर्माण	3.00	37.80	0.10
04	जनपद रुद्रप्रयाग में सारी-बिजराकोट मोटर मार्ग का निर्माण	3.00	37.80	0.10
05	जनपद रुद्रप्रयाग में जखोली में धान्यू-कोली-धरड़ा मोटर मार्ग का निर्माण	3.00	37.80	0.10
	योग-	15.00	189.00	0.50

(कुल र पचास हजार मात्र)

(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव

परिशिष्ट

(देखिय नियम-6)

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की
धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग-1

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना विवरण :-

1.

क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव
/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त
विवरण।

जनपद रुद्रप्रयाग के वि०ख० अगस्त्यमुनि में
राज्य योजना के अन्तर्गत सारी-विजराकोट
मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि
हस्तान्तरण प्रस्ताव।

ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि
और उसके आस-पास के वनों की
सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।

संलग्न है।

ग) परियोजना की लागत।

स्वीकृत लागत = ₹ 37.80 लाख मात्र।

घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने
का औचित्य।

प्रस्तावित मार्ग द्वारा वन क्षेत्र होते हुए ही
सम्बन्धित गांवों को जोड़ने हेतु एक मात्र
विकल्प है।

ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये
जाने के लिए)

संलग्न है।

च) रोजगार जिनके पैदा होने की
संभावना है।

0.002 लाख मानव दिवस।

2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार
विवरण:

0.000 हैक्टेयर वन पंचायत भूमि।

0.000 हैक्टेयर सिविल वन भूमि।

2.610 हैक्टेयर आरक्षित वन भूमि

0.090 हैक्टेयर निजी/नाप भूमि

3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का
विवरण, यदि कोई है

क) परिवारों की संख्या

- शून्य

ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के
परिवारों की संख्या

- शून्य

ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने
के लिए)

- शून्य

4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ?
(हां/नहीं)

नहीं

5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता (वचनवद्धता संलग्न की जाये)

संलग्न है।

6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का व्यौरा।

संलग्न है।

दिनांक 31/08/14

स्थान - रूद्रप्रयाग

(ई० इन्द्रजीत बोस)
अधीशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
रूद्रप्रयाग

प्रस्ताव की क्रम संख्या.....

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)

भाग- II

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

परियोजना/स्कीम का स्थान

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या

जनपद रुद्रप्रयाग के वि०ख० अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत सारी-विजराकोट मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

- | | | |
|-------|---|---|
| i) | राज्य/संघ शासित क्षेत्र | उत्तराखण्ड |
| ii) | जिला | रुद्रप्रयाग। |
| iii) | वन प्रभाग | रुद्रप्रयाग |
| iv) | वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (है० में) | 2.610 है० |
| v) | वन की कानूनी स्थिति | 2.610 है० वन पंचायत भूमि 0.090 है० नाप भूमि |
| vi) | हरियाली का घनत्व | 40% |
| vii) | प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ०आर०एल० - 8 मी० पर परिगणना भी संलग्न किए जाए | सूची में संलग्न है। |
| viii) | भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी। | भूक्षरण की सम्भावना नहीं है। |
| ix) | वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी | 1.00 किमी० |
| x) | क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणीयाँ अनुबन्धित की जाए) | नहीं |
| xi) | क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ /संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है यदि हां/तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें। | नहीं |
| xii) | क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, या | नहीं। |
| 8- | प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है। | प्रस्तावित मार्ग हेतु दो सरेखण उपलब्ध है। |
| 9- | क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सुनिश्चित कार्य का ब्यौरा दें तथा उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चह रहे हैं। | लागू नहीं |

10- प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा:-

- i. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।
- ii. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।
- iii. रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढाचा आदि।
- iv. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।
- v. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)।

संलग्न है।

संलग्न है।

संलग्न है।

संलग्न

11- जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)

संलग्न है।

12- प्रभाग/जिला प्रोफाइल

- i. जिला का भौगोलिक क्षेत्र।
- ii. जिला का वन क्षेत्र।
- iii. मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र।
- iv. 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिकूल वनीकरण
- (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि
- (ख) वनेत्तर भूमि पर
- v. 2014 तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति
- (क) वन भूमि पर
- (ख) वनेत्तर भूमि पर

वन प्रभाग रुद्रप्रयाग।

1984 वर्ग किमी०

1790.995 वर्ग किमी०

580.052 hae. 145 Case

727.29 hae.

X

727.29 hae.

प्रकरण रुद्रप्रयाग वन प्रभाग से सम्बन्धित है। अतः जनहित में सिफारिश की जाती है।

दिनांक.....

स्थान-रुद्रप्रयाग

हस्ताक्षर

नाम

(किशन चन्द)
सरकारी मोहम्मदीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

भाग-III

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

- 14- स्थल, जहां की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है ? (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।
- 15- क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।
- 16- प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

तिथि.....

स्थान-

हस्ताक्षर:

नाम और पदनाम

सरकारी मोहर

भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

- 17- टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय)

तिथि :

स्थान :

हस्ताक्षर:

नाम और पदनाम

सरकारी मोहर

भाग-V

(वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अपर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो, द्वारा भरा जाना है)

- 17- राज्य सरकार की सिफारिश:
(उपर्युक्त भाग- II या भाग- III या भाग-IV में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाए)

हस्ताक्षर:

नाम और पदनाम

तिथि :

स्थान :

सरकारी मोहर

(Faint signatures and stamps are visible in this section, including names like 'Raghu' and various official seals.)

परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत सारी-विजराकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 3.000 किमी०।

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण-पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 17-5-2013 को उपरोक्त प्रयोजन हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री कुलदीप सिंह पंवार वन दुरोगा, श्री महावीर सिंह बिष्ट वन रक्षक प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री ओम प्रकाश चन्द्रा अवर सहायक अभियन्ता के द्वारा निरीक्षण में भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आरक्षित वन भूमि 2.610 हे०, सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.000 हे०, वन पंचायत भूमि 0.000 हे० एवं नाप भूमि 0.090 हे० प्रभावित होती है। प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा प्रस्तावित भूमि की मांग न्यूनतम है। प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जाना है।

आवेदित वन भूमि में जिन वृक्षों का पातन किया जाना है उनकी सूची संलग्न है।
(अन्य आवश्यक कोई विवरण जो दिया जाना है).....

प्रस्तावित समरेखण एक मात्र विकल्प है। इस समरेखण पर प्रभावित होने वाली वन भूमि/ वृक्षों की संख्या न्यूनतम है तथा इस समरेखण पर कोई विवाद नहीं है।

कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो० नि० वि०
रुद्रप्रयाग

सहायक अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो० नि० वि०
रुद्रप्रयाग

अधिशाली अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो० नि० वि०
रुद्रप्रयाग

वन क्षेत्राधिकारी
अगस्त्यमुनि रेंज
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग

प्रति हस्ताक्षरित
प्रभारित वन अधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र... सारी...
तहसील...
जिला रुद्रप्रयाग

तहसीलदार
तहसील रुद्रप्रयाग
जनपद रुद्रप्रयाग

उप जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग

जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग

प्रति हस्ताक्षरित

Raghu
जिला अधिकारी
रुद्रप्रयाग

कोडाकाल से विराजोत मोर काग P.W. के समीप 31/4/20

क्र.सं.	प्रजाति	वयस	का.मा.	क्र.सं.	प्रजाति	वयस	का.मा.
1	उमंग	10-20	ना.	44	चीड	20-30	ना.
2	उमंग	10-20	ना.	45	"	20-30	ना.
3	उमंग	10-10	ना.	46	"	20-30	ना.
4	उमंग	0-10	ना.	47	"	20-30	ना.
5	काज	30-40	ना.	48	"	20-30	ना.
6 S.K.	चीड	40-50	का.	49	"	10-20	ना.
7	चीड	20-30	ना.	50	"	20-30	ना.
8	चीड	40-50	ना.	51	"	20-30	ना.
9	चीड	30-40	ना.	52	"	20-30	ना.
10	चीड	30-40	ना.	53	"	30-40	का.
11	चीड	30-40	ना.	54	"	20-30	ना.
12	चीड	30-40	ना.	55	"	10-20	ना.
13	चीड	30-40	ना.	56	"	10-20	ना.
14	चीड	10-20	ना.	57	"	20-30	ना.
15	चीड	10-20	ना.	58	"	10-20	ना.
16	चीड	10-20	ना.	59	"	20-30	ना.
17	चीड	20-30	ना.	60	"	10-20	ना.
18	चीड	20-30	ना.	61	"	20-30	ना.
19	चीड	20-30	ना.	62	"	20-30	ना.
20	चीड	20-30	ना.	63	"	10-20	ना.
21	चीड	10-20	ना.	64	"	20-30	ना.
22	चीड	20-30	ना.	65	"	20-30	ना.
23	चीड	10-20	ना.	66	"	40-50	का.
24	चीड	20-30	ना.	67	"	20-30	ना.
25	चीड	20-30	ना.	68	"	30-40	ना.
26	चीड	20-30	ना.	69	"	20-30	ना.
27	चीड	10-20	ना.	70	"	30-40	का.
28	चीड	10-20	ना.	71	"	20-30	ना.
29	चीड	40-50	का.	72	"	40-50	का.
30	चीड	20-30	ना.	73	"	30-40	ना.
31	चीड	30-40	ना.	74	"	10-20	ना.
32	चीड	10-20	ना.	75	"	10-20	ना.
33	चीड	10-20	ना.	76	"	20-30	ना.
34	चीड	0-10	ना.	77	"	20-30	ना.
35	चीड	20-30	ना.	78	"	0-10	ना.
36	चीड	20-30	ना.	79	"	20-30	ना.
37	चीड	20-30	ना.	80	"	20-30	ना.
38	चीड	20-30	ना.	81	"	30-40	का.
39	चीड	20-30	ना.	82	"	20-30	ना.
40	चीड	20-30	ना.	83	"	20-30	ना.
41	चीड	10-20	ना.	84	"	20-30	ना.
42	चीड	30-40	का.	85	"	20-30	ना.
43	चीड	20-30	ना.	86	"	10-20	ना.

क्र.सं.	प्रजाति	मास	काली	क्र.सं.	प्रजाति	मास	काली
87	चौड	20-30	मा	131	चौड	30-40	मा
88	चौड	20-30	मा	132	चौड	20-30	मा
89	चौड	10-20	मा	133	चौड	10-20	मा
90	चौड	0-10	मा	134	चौड	10-20	मा
91	चौड	20-30	मा	135	चौड	30-40	मा
92	चौड	20-30	मा	136	चौड	20-30	मा
93	चौड	10-20	मा	137	चौड	20-30	मा
94	चौड	10-20	मा	138	चौड	20-30	मा
95	चौड	20-30	मा	139	चौड	20-30	मा
96	चौड	20-30	मा	140	चौड	40-50	मा
97	चौड	10-20	मा	141	चौड	30-40	मा
98	चौड	20-30	मा	142	चौड	40-50	मा
99	चौड	20-30	मा	143	चौड	20-30	मा
100	चौड	10-20	मा	144	चौड	30-40	मा
101	चौड	10-20	मा	145	चौड	30-40	मा
102	चौड	20-30	मा	146	चौड	20-30	मा
103	चौड	30-40	मा	147	चौड	30-40	मा
104	चौड	20-30	मा	148	चौड	10-20	मा
105	चौड	20-30	मा	149	चौड	10-20	मा
106	चौड	10-20	मा	150	चौड	20-30	मा
107	चौड	20-30	मा	151	चौड	20-30	मा
108	चौड	20-30	मा	152	चौड	20-30	मा
109	चौड	20-30	मा	153	चौड	10-20	मा
110	चौड	10-20	मा	154	चौड	20-30	मा
111	चौड	20-30	मा	155	चौड	20-30	मा
112	चौड	20-30	मा	156	चौड	20-30	मा
113	चौड	20-30	मा	157	चौड	20-30	मा
114	चौड	30-40	मा	158	चौड	20-30	मा
115	चौड	20-30	मा	159	चौड	30-40	मा
116	चौड	20-30	मा	160	चौड	20-30	मा
117	चौड	30-40	मा	161	चौड	20-30	मा
118	चौड	20-30	मा	162	चौड	20-40	मा
119	चौड	20-30	मा	163	चौड	20-30	मा
120	चौड	10-20	मा	164	चौड	30-40	मा
121	चौड	30-40	मा	165	चौड	30-40	मा
122	चौड	0-10	मा	166	चौड	30-40	मा
123	चौड	20-30	मा	167	चौड	40-50	मा
124	चौड	20-30	मा	168	चौड	20-30	मा
125	चौड	20-30	मा	169	चौड	10-20	मा
126	चौड	20-30	मा	170	चौड	20-30	मा
127	चौड	20-30	मा	171	चौड	10-20	मा
128	चौड	20-30	मा	172	चौड	30-40	मा
129	चौड	20-30	मा	173	चौड	40-50	मा
130	चौड	30-40	मा	174	चौड	40-50	मा

क्र.सं.	प्रकार	व्यास	काल	क्र.सं.	प्रकार	व्यास	काल
268	चौड	10-20	ना०	324	चौड	20-30	ना०
269	चौड	0-10	ना०	325	चौड	10-20	ना०
270	चौड	0-10	ना०	326	चौड	20-30	ना०
271	चौड	10-20	ना०	327	चौड	10-20	ना०
272	चौड	20-30	ना०	328	चौड	0-10	ना०
273	चौड	10-20	ना०	329	चौड	10-20	ना०
274	चौड	10-20	ना०	330	चौड	10-20	ना०
275	चौड	10-20	ना०	331	चौड	0-10	ना०
276	चौड	10-20	ना०	332	चौड	10-20	ना०
277	चौड	0-10	ना०	333	चौड	10-20	ना०
278	चौड	0-10	ना०	334	चौड	10-20	ना०
279	चौड	0-10	ना०	335	चौड	0-10	ना०
280	चौड	20-30	ना०	336	चौड	10-20	ना०
281	चौड	20-30	ना०	337	चौड	0-10	ना०
282	चौड	20-30	ना०	338	चौड	20-30	ना०
283	चौड	10-20	ना०	339	चौड	10-20	ना०
284	चौड	0-10	ना०	340	चौड	10-20	ना०
285	चौड	20-30	ना०	341	चौड	20-30	ना०
286	चौड	0-10	ना०	342	चौड	20-30	ना०
287	चौड	0-10	ना०	343	चौड	10-20	ना०
288	चौड	10-20	ना०	344	चौड	20-30	ना०
289	चौड	20-30	ना०	345	चौड	10-20	ना०
290	चौड	0-10	ना०	346	चौड	20-30	ना०
291	चौड	0-10	ना०	347	चौड	10-20	ना०
292	चौड	0-10	ना०	348	चौड	20-30	ना०
293	चौड	0-10	ना०	349	चौड	10-20	ना०
294	चौड	20-30	ना०	350	चौड	20-30	ना०
295	चौड	20-30	ना०	351	चौड	10-20	ना०
296	चौड	10-20	ना०	352	चौड	30-40	ना०
297	चौड	10-20	ना०	353	चौड	10-20	ना०
298	चौड	10-20	ना०	354	चौड	20-30	ना०
299	चौड	20-30	ना०	355	चौड	20-30	ना०
300	चौड	20-30	ना०	356	चौड	20-30	ना०
301	चौड	10-20	ना०	357	चौड	10-20	ना०
302	चौड	10-20	ना०	358	चौड	30-40	ना०
303	चौड	0-10	ना०	359	चौड	20-30	ना०
304	चौड	0-10	ना०	360	चौड	30-40	ना०
305	चौड	10-20	ना०	361	चौड	10-20	ना०
306	चौड	10-20	ना०	362	चौड	20-30	ना०
307	चौड	10-20	ना०	363	चौड	20-30	ना०
308	चौड	10-20	ना०	364	चौड	30-40	ना०
309	चौड	20-30	ना०	365	चौड	10-20	ना०
310	चौड	20-30	ना०	366	चौड	10-20	ना०
311	चौड	0-10	ना०	367	चौड	20-30	ना०
312	चौड	0-10	ना०	368	चौड	20-30	ना०
313	चौड	10-20	ना०	369	चौड	10-20	ना०
314	चौड	20-30	ना०	370	चौड	10-20	ना०
315	चौड	20-30	ना०	371	चौड	20-30	ना०
316	चौड	10-20	ना०	372	चौड	20-30	ना०
317	चौड	10-20	ना०	373	चौड	30-40	ना०
318	चौड	10-20	ना०	374	चौड	30-40	ना०
319	चौड	10-20	ना०	375	चौड	10-20	ना०
320	चौड	10-20	ना०	376	चौड	20-30	ना०
321	चौड	10-20	ना०	377	चौड	20-30	ना०
322	चौड	10-20	ना०	378	चौड	30-40	ना०
323	चौड	10-20	ना०	379	चौड	30-40	ना०

क्र.सं.	पंजाब	वर्ष	क्र.सं.	पंजाब	वर्ष	
175	चौड	40-50	क्र.सं.	221	चौड	20-30
176	चौड	10-20	क्र.सं.	222	चौड	20-30
177	चौड	20-30	क्र.सं.	223	चौड	10-20
178	चौड	30-40	क्र.सं.	224	चौड	10-20
179	चौड	40-50	क्र.सं.	225	चौड	20-30
180	चौड	50-60	क्र.सं.	226	चौड	20-30
181	चौड	40-50	क्र.सं.	227	चौड	10-20
182	चौड	40-50	क्र.सं.	228	चौड	20-30
183	चौड	30-40	क्र.सं.	229	चौड	10-20
184	चौड	30-40	क्र.सं.	230	चौड	10-20
185	चौड	10-20	क्र.सं.	231	चौड	10-20
186	चौड	20-30	क्र.सं.	232	चौड	20-30
187	चौड	30-40	क्र.सं.	233	चौड	10-20
188	चौड	60-70	क्र.सं.	234	चौड	30-40
189	चौड	30-40	क्र.सं.	235	चौड	20-30
190	चौड	30-40	क्र.सं.	236	चौड	20-30
191	चौड	20-30	क्र.सं.	237	चौड	30-40
192	चौड	20-30	क्र.सं.	238	चौड	10-20
193	चौड	30-40	क्र.सं.	239	चौड	10-20
194	चौड	30-40	क्र.सं.	240	चौड	30-40
195	चौड	20-30	क्र.सं.	241	चौड	40-50
196	चौड	20-30	क्र.सं.	242	चौड	20-30
197	चौड	10-20	क्र.सं.	243	चौड	10-20
198	चौड	10-20	क्र.सं.	244	चौड	10-20
199	चौड	10-20	क्र.सं.	245	चौड	20-30
200	चौड	20-30	क्र.सं.	246	चौड	20-30
201	चौड	20-30	क्र.सं.	247	चौड	20-30
202	चौड	20-30	क्र.सं.	248	चौड	0-10
203	चौड	20-30	क्र.सं.	249	चौड	0-10
204	चौड	10-20	क्र.सं.	250	चौड	10-20
205	चौड	10-20	क्र.सं.	251	चौड	10-20
206	चौड	10-20	क्र.सं.	252	चौड	20-30
207	चौड	20-30	क्र.सं.	253	चौड	0-10
208	चौड	20-30	क्र.सं.	254	चौड	20-30
209	चौड	10-20	क्र.सं.	255	चौड	10-20
210	चौड	10-20	क्र.सं.	256	चौड	20-30
211	चौड	10-20	क्र.सं.	257	चौड	10-20
212	चौड	20-30	क्र.सं.	258	चौड	20-30
213	चौड	20-30	क्र.सं.	259	चौड	10-20
214	चौड	30-40	क्र.सं.	260	चौड	10-20
215	चौड	10-20	क्र.सं.	261	चौड	20-30
216	चौड	10-20	क्र.सं.	262	चौड	20-30
217	चौड	20-30	क्र.सं.	263	चौड	0-10
218	चौड	20-30	क्र.सं.	264	चौड	10-20
219	चौड	20-30	क्र.सं.	265	चौड	20-30
220	चौड	20-30	क्र.सं.	266	चौड	20-30
221	चौड	10-20	क्र.सं.	267	चौड	20-30
222	चौड	10-20	क्र.सं.	268	चौड	20-30

क्र.सं०	प्रजाति	वयस	क्रा.सं०	प्र.सं०	प्रजाति	वयस	क्रा.सं०
370	चौड	30-40	नौ०	440	चौड	30-40	नौ०
371	चौड	20-30	नौ०	441	चौड	30-40	नौ०
372	चौड	10-20	नौ०	442	चौड	20-30	नौ०
373	चौड	20-30	नौ०	443	चौड	20-30	नौ०
374	चौड	10-20	नौ०	444	चौड	40-50	नौ०
375	चौड	20-30	नौ०	445	चौड	0-10	नौ०
376	चौड	20-30	नौ०	446	चौड	20-30	नौ०
377	चौड	30-40	नौ०	447	चौड	20-30	नौ०
378	चौड	20-30	नौ०	448	चौड	40-50	नौ०
379	चौड	30-40	नौ०	449	चौड	20-30	नौ०
380	चौड	30-40	नौ०	450	चौड	20-30	नौ०
381	चौड	20-30	नौ०	451	चौड	20-30	नौ०
382	चौड	10-20	नौ०	452	चौड	20-30	नौ०
383	चौड	10-20	नौ०	453	चौड	10-20	नौ०
384	चौड	20-30	नौ०	454	चौड	30-40	नौ०
385	चौड	20-30	नौ०	455	चौड	20-30	नौ०
386	चौड	40-50	नौ०	456	चौड	40-50	नौ०
387	चौड	0-10	नौ०	457	चौड	20-30	नौ०
388	चौड	30-40	नौ०	458	चौड	40-50	नौ०
389	चौड	20-30	नौ०	459	चौड	50-60	नौ०
390	चौड	30-40	नौ०	460	चौड	30-40	नौ०
391	चौड	20-30	नौ०	461	चौड	40-50	नौ०
392	चौड	10-20	नौ०	462	चौड	40-50	नौ०
393	चौड	10-20	नौ०	463	चौड	40-50	नौ०
394	चौड	20-30	नौ०	464	चौड	40-50	नौ०
395	चौड	20-30	नौ०	465	चौड	40-50	नौ०
396	चौड	40-50	नौ०	466	चौड	40-50	नौ०
397	चौड	0-10	नौ०	467	चौड	40-50	नौ०
398	चौड	30-40	नौ०	468	चौड	40-50	नौ०
399	चौड	20-30	नौ०	469	चौड	40-50	नौ०
400	चौड	30-40	नौ०	470	चौड	40-50	नौ०
401	चौड	20-30	नौ०	471	चौड	40-50	नौ०
402	चौड	20-30	नौ०	472	चौड	40-50	नौ०
403	चौड	40-50	नौ०	473	चौड	40-50	नौ०
404	चौड	30-40	नौ०	474	चौड	40-50	नौ०
405	चौड	50-60	नौ०	475	चौड	40-50	नौ०
406	चौड	40-50	नौ०	476	चौड	40-50	नौ०
407	चौड	10-20	नौ०	477	चौड	40-50	नौ०
408	चौड	10-20	नौ०	478	चौड	40-50	नौ०
409	चौड	20-30	नौ०	479	चौड	40-50	नौ०
410	चौड	40-50	नौ०	480	चौड	40-50	नौ०

01/2011

चौड	0-10	—	28	के
चौड	10-20	—	124	—
चौड	20-30	—	188	—
चौड	30-40	—	62	—
चौड	40-50	—	27	—
चौड	50-60	—	7	—
चौड	60-70	—	1	—
			437	के

कुल के = 437
 कुल के = 437 के

अनवर (आमदार)
 लोहरा वि.
 20/11/2011

नगरपालिका
 नगरपालिका
 नगरपालिका

**SITE INSPECTION NOTE BELOW THE RANK OF DCF
(for the forest land to be diverted under FCA)**

A proposal has been received by this office from **Executive Engineer Provincial Division P.W.D. Rudraprayag** (for diversion under FCA-1980) of **2.610 ha.** of forest land non-forestry purpose. The Project envisages the use of forest land for construction of **Sari- Vijarakot motor road**. The site inspection of the land involved in the proposal has done by me on dated **8.12.2014**...

On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RF/PF/un-classed/Protect forest measuring **2.610 ha.**

The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col. 2 part-I is unavoidable and is base minimum required for the project. **NO**

Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna found in the area. If, so the details there of. :-

Whether any protected archeological/heritage site/defense establishment or any other important monuments is located in the area, if, so the details there of with NOC from competent authority, if required :-

a) ☒ The user agency has not violated the provisions of forest. (Conservation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction.

b) ☐ It has been found that the user agency has violated the forest (Conservation), Act 1980 provisions. A detail report as per para 1.9 of chapter 1, Para C of Handbook of forest (Conservation) Act, 1980 is attached. **NO**

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.

(Signature)

Place **Rudraprayag**

Date **16.1.2015**

Name **(Kishan Chand)**

Designation **D.F.O.**

Office Seal. **प्रभागीय वनाधिकारी**

रुद्रप्रयाग वन प्रभाग

N.B. x state the purpose for which the forest land is proposed to be diverted.
xx out of (a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable

As per letter number 2-2/2000 FC dated 16-10-2000 from Ministry of Environment & Forests, Government of India for proposal involving less than 40 hectares of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more than 40 hectares of forest and site inspection report from the conservation of forests is required.

परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत सारी-विजराकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 3.000 किमी०।

लैन्ड शेड्यूल
(वन विभाग)

जिला	प्रभाग का नाम	वन ब्लाक	लम्बाई	चौड़ाई	क्षेत्रफल (हे०)
रुद्रप्रयाग	रुद्रप्रयाग	अगस्त्यमुनि	00 मी०	9 मीटर	2.610 (आरक्षित वन भूमि)

वन क्षेत्राधिकारी
अगस्त्यमुनि रेंज
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग

प्रति हस्ताक्षरित
प्रभागीय वन अधिकारी
प्रभुजी प्रयाग वन अधिकारी
रुद्रप्रयाग

लैन्ड शेड्यूल

सिविल एवं सोयम, वन पंचायत एवं नाप भूमि का लैन्ड शेड्यूल के लिये
(राजस्व विभाग)/ जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र

जिला	तहसील	ब्लाक	खसरा सं०	कुल रकवा	याचित क्षे. फ. (हे०)	टिप्पणी
रुद्रप्रयाग	रुद्रप्रयाग	अगस्त्यमुनि	543	3.960	0.0000	सिविल
रुद्रप्रयाग	तदैव	तदैव	544	5.150	0.000	सोयम
रुद्रप्रयाग	तदैव	तदैव			0.090	वन पंचायत नाप भूमि

राजस्व अधीक्षक
सिविल एवं सोयम
क्षेत्र 512
तहसील
जिला रुद्रप्रयाग

तहसील अधिकारी
रुद्रप्रयाग
जनपद रुद्रप्रयाग

उप जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग

जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग

प्रति हस्ताक्षरित

Raghu
जिला अधिकारी
रुद्रप्रयाग

[illegible]

1422 1222 1422 1222

05/02/2007

१५५७ - १५५८

6. 11. 1942

[illegible]

नियम :- प्रत्येक विद्यार्थी को
अपनी परीक्षा के लिए एक ही
तैयारी कर लेनी है।

P.C. Hart

[Handwritten signature]

નંબર M. Z. A. વડોદરા

લેહર - કુટુંબ માંગ

ગ્રીડ લગા રાઉન્ડ - કાદી
ચિત્રાકર

જિલ્લો - કુટુંબ માંગ

રેલવેમાં આ કાર્ડિયો કાર્ડ ફોટો નામ લગા નિવાસ રજીસ્ટ્રેશન	કાર્ડ નંબર	કાર્ડ નંબર	રેલવે નામ કુટુંબ	નિવાસ
9(3) 5 હાઈ સીડી કાર્ડ	3	4	5	6
કાર્ડ	8	81 =		
	283	968	3.960	૩
	2818	22611	5.150	૬
સીડી	29	9296111		

નોટ - કુટુંબમાં કાર્ડ નંબર

S.C. Hantani
[Signature]

Received
4/11/14
મંજૂર સચીવ
સર - કાદી
મહાસીલ કુટુંબ માંગ
મંજૂર સચીવ

बंगल मीठा राम म १ (७०) लाप

राम म १ (७०) लाप
लहोला - फुडुमाग
लहोला - फुडुमाग
फुडुमाग - ३२" - मीठा

नमो भगवते वासुदेवाय

२४३

बंगल मीठा राम म १ (७०) लाप
लगा विजराकोट

१७५

लगा विजराकोट

१

१७५